हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

द्वितीय सत्र

बुधवार, 7 मार्च, 2018/16 फाल्गुन, 1939(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित :**

दिन के लिए — पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित:**

दिन के लिए — पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:**

कार्य-सलाहकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा ।

3. **सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन :**

(1) **श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री,** निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि:-

"हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)बी (7)के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

(2) **श्री सुरेश भारद्वाज,शिक्षा मन्त्री,** निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि:-

"That in pursuance of Statute 8 (i)(ix) of the Statutes of the Himachal Pradesh University, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the members of the Himachal Pradesh University Court for a period of three years commencing from the date of publication of their being as members of the H.P. University Court in the notification subject to other provisions of the said Statutes."

4. <u>अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त)वित्तीय वर्ष 2017-2018:-</u>

(i) सामान्य चर्चा ।

(ii) वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) पर चर्चा, मतदान एवं उनका पारण।

5. <u>विधायी कार्य :</u>

<u>(I) सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना</u>

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि 31मार्च, 2018 को समाप्त होने

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 1)	वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्यांक 1)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

शिमला-171 004
दिनांक: 6 मार्च, 2018

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

बुधवार, 7 मार्च, 2018/ 16 फाल्गुन, 1939 (शक्) के लिए निर्धारित
तारांकित प्रश्नों की कार्यसूची का

“शुद्धिपत्र”

मद संख्या	शुद्धियां
*16	(क) भाग में "**जाहु**" के स्थान पर "**भाम्वला**" पढ़ा जाए।

शिमला-171004.
दिनांक: 06.03.2018.

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव।

****